

# पटना नगर निगम

पटना नगर निगम  
PATNA MUNICIPAL CORPORATION



लेटर नं. ८०३/१३३

मात्रा / दिनांक: १८/०३/२०२४

रांथिका रां०— P/DIGHA/PRN-G+4/941/2023  
Application No.-PMC-BPAS-02196/2023/BP

सेवा में,

M/S SAI ASHRAY NIRMAN INDIA PVT.LTD.

DIRECTOR-SRI MANORANJAN

S/O-SRI RATNESHWAR PRASAD

ADD.- DULARI NIKETAN, MOHANPUR, PUNAICHAK,  
BEHIND SBI RAJBANSI NAGAR, P.S.-SHASTRI NAGAR, PATNA.

विषय :- प्लॉन केरा रां०—P/DIGHA/PRN-G+4/941/2023 औंटो गैप आवेदन रांख्या—PMC- BPAS-02196/2023/BP नक्शा की रवीकृति के रांबंध में।

महाशय,

आपके आवेदन रांख्या—P/DIGHA/PRN-G+4/941/2023 औंटो गैप आवेदन रांख्या— PMC-BPAS-02196/2023/BP के संदर्भ में M/S SAI ASHRAY NIRMAN INDIA PVT.LTD., DIRECTOR-SRI MANORANJAN, S/O-SRI RATNESHWAR PRASAD, ADD.- DULARI NIKETAN, MOHANPUR, PUNAICHAK, BEHIND SBI RAJBANSI NAGAR, P.S.-SHASTRI NAGAR, PATNA., पटना के लिए भवन निर्माण के लिए पटना नगर निगम/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित विकास योजना/आयोजना प्राधिकार/आयोजना स्कीम के सी०एस० प्लॉट नं०—1246, तौजी नं०—5339, खाता नं०—1630, थाना नं०—01, मौजा—DIGHA, पटना के बाबत निम्नलिखित शर्तों/निर्वधनों के अध्याधीन एतद द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

- (क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
- (ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।
- (ग) अनुगोदित योजना में दर्शाया गया 616.71 वर्ग मीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।
- (घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 9.16 मीटर चौड़ाई के अनुमोदित पहुँच मार्ग के मध्यम से सुगम्य होगी।
- (ङ) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।
- (च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों/या बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आव्यादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधीनस्थ पटना नगर निगमों को शून्य वर्ग मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।
- (छ) गवन उपविधि के कंडिका-09 के तहत नक्शा गिर्गत करने में विलम्ब की पूरी जिम्मेवारी आवेदक/आर्किटेक्ट/बिल्डर की होगी।
- Permission granted under section-9 of building bye laws shall remain valid up to five years from the date such a permission is granted.
- (ज) इस उपबंध के अधीन की गयी अनुगति को उस भूखण्ड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो, के अधिकार, हक, इति की बाबत साक्षा नहीं गानी जाएगी।

- (३) योजना के अनुग्रहन के पश्चात् भू-आग्निलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुग्रहन रवतः रद्द समझी जाएगी।
- ४ भू-रवाग्नित्व एवं नक्शा से संबंधित सगस्त दरतावेजों/कागजात के सत्यता की जिम्मेदारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि/हेर-फेर/कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ आवेदक के विरुद्ध विधि समाता कार्रवाई की जायेगी।
- (५) भवन का निर्माण रखीकृत नक्शे के अनुरूप ही किये जायें, भविष्य में किसी भी प्रकार के अनियमितता/विचलन पाये जाने की स्थिति में सम्पूर्ण जबाबदेही आवेदक की होगी एवं विधि समाता कार्रवाई के पात्र होंगे।
- (६) Environmental Protection Act. के तहत बहुगांजिले भवन के निर्माण के दौरान ढक कर निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा।
- (७) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम (Solid Waste Management Rules) 2016 का अनुपालन किया जाय।
- (८) ग्रीन-एरिया का प्रावधान विहार भवन उप-विधि, 2014 के कडिका-32 के अनुरूप निर्माण परिसर में किया जाना अनिवार्य होगा।
- (९) नक्शा रखीकृति के पश्चात् एवं निर्माण कार्य प्रारम्भ करने तथा निर्माण कार्य के समय निर्माण रथल को ढंक कर रखेंगे तथा निर्माण सामग्री सड़क अथवा सार्वजनिक रथल पर नहीं रखेंगे।

विश्वासभाजन,

२६/०३/२५  
निद सिक्क,

शहरी योजना,  
पटना नगर निगम, पटना।